



षोडश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-28.11.2017 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स०
- श्री चन्द्रिका राय, स०वि०स०
- डॉ० मुहम्मद जावेद, स०वि०स०
- डॉ० अशोक कुमार, स०वि०स०
- श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स०
- श्री भोला यादव, स०वि०स०
- श्री शिवचन्द्र राम, स०वि०स०

“राज्य में शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । 81 प्रतिशत विद्यालयों में निर्धारित मापदंड के अनुरूप शिक्षक नहीं हैं जिसका कुप्रभाव छात्रों पर पड़ रहा है । सरकारी आंकड़े के अनुसार शिक्षक एवं छात्र का अनुपात 1:57 है, जबकि प्राथमिक विद्यालयों में 1:30 एवं माध्यमिक विद्यालयों में 1:35 होना चाहिए । दूसरी तरफ 2011 में T.E.T. उत्तीर्ण हजारों अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए प्रतिक्षारत हैं जिनकी नियुक्ति सरकार नहीं कर पा रही है ।

शिक्षा

अतः छात्र एवं शिक्षा के हित में T.E.T. 2011 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।”

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4


2. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, संवि०सं०
 श्री संजय सरावगी, संवि०सं०
 श्री विद्यासागर केशरी, संवि०सं०
 श्री विजय कुमार मंडल, संवि०सं०
 श्री सुधांशु शेखर, संवि०सं०
 श्री अजय कुमार सिंह, संवि०सं०
 श्री जिवेश कुमार, संवि०सं०
 डॉ० सुनील कुमार, संवि०सं०
 श्री रणधीर कुमार सोनी, संवि०सं०
 श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, संवि०सं०
 श्री संजीव चौरसिया, संवि०सं०
 डॉ० सी०एन० गुप्ता, संवि०सं०
 श्री रामचंद्र सहनी, संवि०सं०
 श्री नरेन्द्र नारायण यादव, संवि०सं०
 श्री शशिभूषण हजारी, संवि०सं०
 श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, संवि०सं०
 श्री ललन पासवान, संवि०सं०
 श्री विनोद प्रसाद यादव, संवि०सं०
 श्री अवधेश सिंह, संवि०सं०
 श्री नौशाद आलम, संवि०सं०
- “सम्पूर्ण राज्य में बालू एवं गिट्टी की आपूर्ति बाधित होने से सरकारी एवं गैर सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित है। साथ ही बालू गिट्टी से सम्बन्धित कार्यों में लगे मजदूरों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है।
- अतएव बालू गिट्टी की आपूर्ति सुचारू रूप से कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”
- खान एवं भूतत्व

राम श्रेष्ठ राय
 सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-30/17-6753-6765 / वि०सं०, पटना, दिनांक-27 नवम्बर, 2017 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा खान एवं भूतत्व विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



 27.11.2017
 (प्रदीप कुमार राय)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-30/17-6753-6765 / वि०सं०, पटना, दिनांक-27 नवम्बर, 2017 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।


 27.11.2017
 (प्रदीप कुमार राय)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना

